न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 78/2021

अनवान : –

1. विकास कुमार पुत्र वेदप्रकाश जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. जर्मन पुत्र रामकुमार जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।
4. जमना पत्नी गोरीशंकर जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।
5. मंजु पत्नी विकाश जाति कलाल साकिन भूकरका तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 27/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 656/655 की कुल 4.9770 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 166/147 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायल व गैरसायलान का लड़ाई झगड़ा रहता है तथा सींव, डोल व कब्जा संयुक्त रहने से सायल का गैरसायल से रोजाना विवाद रहता है एवं वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार का देहान्त हो चुका है। वेदप्रकाश के जायज वारिसान प्रार्थी एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण है जो की अपने वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि की जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:34:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 656/655 की कुल 4.9770 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 166/147 की कुल 2.5300 भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से तथा उक्त भूमि संयुक्त दर्ज रहने से भूमि के कब्जा काश्त व लगान बाबत सायल व गैरसायलान का लड़ाई झगड़ा रहता है तथा सींव, डोल व कब्जा संयुक्त रहने से सायल का गैरसायल से रोजाना विवाद रहता है एवं वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार का देहान्त हो चुका है। वेदप्रकाश के जायज वारिसान प्रार्थी एवं दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण है जो की अपने वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायल स0 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थी स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 656/655 की कुल 4.9770 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 166/147 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी [illegible] अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0[illegible] को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:54:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं वेदप्रकाश पुत्र रामकुमार जो की सायल का पिता है के नाम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वेदप्रकाश का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी अपने पिता के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने हेतु स्वंतत्र है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.07.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:54:42 IST
Reason: SelfAttested